निर्णय न्यायालय श्री अनूप सिंह आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर जिला गंगापुर सिटी।

मुकदमा नम्बर	तारीख रजु.	तारीख निर्णय
118/24	22.03.24	11.07.24

1. रामजीत पुत्र शिवचरण
2. सोनू पुत्र शिवचरण

जातियान जाटव निवासीगण खेडला तहसील वजीरपुर जिला गंगापुर सिटी
— प्रार्थीगण

बनाम

1. लैण्डहोल्डर जरिये तहसीलदार वजीरपुर
2. पिरता पत्नी शिवचरण
3. हरिचरण पुत्र कलुआ
4. गोमा पत्नी स्व0 जीवन
5. दीपक पुत्र स्व0 जीवन

जातियान जाटव निवासीगण खेडला तहसील वजीरपुर जिला गंगापुर सिटी
— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित :— श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि जमावंदी हाल संवत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 35 की भूमि खसरा नंवर 772 रकवा 0.36 है0, 791 रकबा 0.27 है0, खसरा नंवर 799 रकवा 0.19 है0 वाके ग्राम खेडला की खातेदारी में प्रार्थी संख्या 01 का नाम टाइपिंग की त्रुटि के कारण रामजीत के स्थान पर रामजीलाल पुत्र शिवचरण दर्ज हो गया है, इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 02 का नाम सोनू पुत्र शिवचरण के स्थान पर सुनील पुत्र शिवचरण दर्ज हो गया है जवकि प्रार्थी संख्या 01 का सही नाम रामजीत पुत्र शिवचरण तथा प्रार्थी संख्या 02 का सही नाम सोनू पुत्र शिवचरण है तथा समस्त सभी सरकारी दस्तावेजों में भी यही सही नाम दर्ज है। इसलिए न्यायहित में इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में इसी अनुसार प्रार्थीगण के नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण का समस्त सरकारी दस्तावेजों में नाम रामजीलाल पुत्र शिवचरण व सुनील पुत्र शिवचरण न होकर सही नाम रामजीत पुत्र शिवचरण व सोनू पुत्र शिवचरण है। इस संदर्भ में सरकारी दस्तावेज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राज0 की मार्कशीट की फोटोप्रति व रा0उ0प्रा0 विद्यालय खेडला द्वारा जारी की गई अंकतालिका की फोटोप्रति, आधार कार्ड रामजीत की फोटोप्रति तथा मूल निवास प्रमाण पत्र रामजीत की फोटो प्रति, जाति प्रमाण पत्र, पहचान पत्र रामजीत की फोटो प्रति, फोटो प्रति जन आधार कार्ड पिरतादेवी, परिवार राशन कार्ड पिरतादेवी फोटो प्रति, फोटो प्रति आधार कार्ड सोनू, फोटो प्रति पहचान पत्र सोनू, फोटो प्रति जाति प्रमाण पत्र व मूल निवास सोनू पुत्र शिवचरण व असल प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत बडौली साथ में पेश है। उक्त सभी दस्तावेजों से प्रमाणित है कि प्रार्थीगण का सही व सरकारी दस्तावेज का नाम रामजीत पुत्र शिवचरण व सोनू पुत्र शिवचरण है। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थीगण के अशुद्ध नाम रामजीलाल पुत्र शिवचरण व सुनील पुत्र शिवचरण की दुरूस्ती की जाकर प्रार्थीगण का सही नाम रामजीत पुत्र शिवचरण व सोनू पुत्र शिवचरण दर्ज करने के आदेश दिये जावें। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण का नाम नावालिग खातेदार के रूप में दर्ज है जवकि प्रार्थीगण बालिग हो चुके हैं। प्रार्थी संख्या 01 की जन्मतिथि 10.8.1993 है जिसके अनुसार प्रार्थी लगभग 31 वर्ष का हो चुका है। इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 02 के आधार कार्ड

उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर (गंगापुर सिटी)

की जन्मतिथि 04.05.1998 के अनुसार प्रार्थी संख्या 02 लगभग 26 साल का हो चुका है अर्थात् प्रार्थीगण बालिग हो चुके हैं। इसलिए प्रार्थीगण का नाम खातेदारी कालम में दर्ज नाबालिग के नोट को हटाया जाकर प्रार्थी संख्या 01 का नाम रामजीत पुत्र शिवचरण जाति जाटव निवासी खेडला तहसील वजीरपुर एवं प्रार्थी संख्या 02 का नाम सोनू पुत्र शिवचरण जाति जाटव निवासी खेड़ला तहसील वजीरपुर के रूप में दर्ज किया जावे। शिवचरण जो प्रार्थीगण के पिता है उनके तीन पुत्र प्रार्थी संख्या 01 रामजीत, प्रार्थी संख्या 02 सोनू व तीसरा पुत्र रामकेश रहा। रामकेश फौत हो चुका है। इसके अलावा शिवचरण के कोई पुत्र नहीं था अर्थात् प्रार्थी संख्या 01 रामजीत का ही सहवन से राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम सुनील दर्ज हो गया, जिसकी न्यायहित में दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है तथा अप्रार्थी लैण्डहोल्डर व तहसीलदार है इसलिए पक्षकार बनाया गया है। माननीय न्यायालय को प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि जमाबंदी हाल संवत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 35 की भूमि खसरा नंबर 772 रकबा 0.36 है0, 791 रकबा 0.27 है0, खसरा नंबर 799 रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम खेडला की खातेदारी में दर्ज प्रार्थी संख्या 01 का नाम नाबालिग रामजीलाल पुत्र शिवचरण संरक्षक सरपरस्त माता पिस्ता खुद को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर रामजीत पुत्र शिवचरण दर्ज किया जावे। इसी प्रकार नाबालिग सुनील पुत्र शिवचरण संरक्षक सरपरस्त माता पिस्ता खुद को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर सोनू पुत्र शिवचरण दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावें।

प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेज प्रार्थी सं0 01 रामजीत की उच्च माध्यमिक परीक्षा की अंकतालिका, आधार कार्ड, पहचान पत्र की फोटो प्रति और प्रार्थी सं0 02 सोनू की कक्षा 5 की मार्कशीट, आधार कार्ड, पहचान पत्र की प्रति और ग्राम पंचायत बडौली का प्रमाण पत्र पेश किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 लैण्ड होल्डर के अलावा और कोई अप्रार्थी उपस्थित नहीं हुआ। तहसीलदार वजीरपुर ने अपने पत्रांक 542 दिनांक 26.06.2024 को प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित किया है कि ग्राम बडौली पटवार मण्डल बडौली की जमाबंदी संवत् 2074–77 के खाता संख्या 35 में प्रार्थीगण का नाम नाबालिग रामजीलाल पुत्र शिवचरण व नाबालिग सुनील पुत्र शिवचरण संरक्षक सरपरस्त माता पिता खुद दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण का नाम समस्त सरकारी दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, अंकतालिका इत्यादि में रामजीत व सोनू दर्ज है जो सही है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से रामजीत के बजाय रामजीलाल व सोनू के बजाय सुनील दर्ज हो गया है मुताबिक शैक्षणिक रिकॉर्ड के वर्तमान में दोनों प्रार्थीगण बालिग हो चुके हैं। प्रार्थी का नाम ग्राम मीना बडौदा पटवार मण्डल मीना बडौदा की जमाबंदी संवत् 2074–77 के खाता संख्या 35 में राजस्व रिकॉर्ड में रामजीलाल के बजाय रामजीत एवं सुनील के बजाय सोनू शुद्ध किया जाना उचित है।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है तथा अप्रार्थी लैण्ड होल्डर ने पटवारी रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। बहस पर मनन तथा पत्रावली का अवलोकन करने के उपरांत प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हाल जमाबंदी 2074 से 2077 के खाता संख्या 35 की भूमि खसरा नंबर 772 रकबा 0.36 है0, 791 रकबा 0.27 है0, खसरा नंबर 799 रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम खेडला की खातेदारी में दर्ज प्रार्थी

उप जिला कलेक्टर वजीरपुर

संख्या 01 का नाम रामजीलाल पुत्र शिवचरण को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर रामजीत पुत्र शिवचरण और इसी प्रकार प्रार्थी सं0 02 का नाम सुनील पुत्र शिवचरण को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर सोनू पुत्र शिवचरण दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम खेडला की जमाबंदी सं0 2074 से 2077 के खाता संख्या खाता संख्या 35 की भूमि खसरा नंबर 772 रकबा 0.36 है0, 791 रकबा 0.27 है0, खसरा नंबर 799 रकबा 0.19 है0 वाके ग्राम खेडला की खातेदारी में दर्ज प्रार्थी संख्या 01 का नाम रामजीलाल पुत्र शिवचरण को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर रामजीत पुत्र शिवचरण और इसी प्रकार प्रार्थी सं0 02 का नाम सुनील पुत्र शिवचरण को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर सोनू पुत्र शिवचरण दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। आदेश की पालना हेतु आदेश की एक सत्य प्रतिलिपि तहसीलदार वजीरपुर को भिजवाई जावें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.07.24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अनूप सिंह)
उपजिला कलेक्टर
वजीरपुर (गंगापुर सिटी)
वजीरपुर

न्यायालय उपजिला कलेक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर (गंगापुर सिटी)